



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-15042024-253710
CG-OR-E-15042024-253710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1628]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946

No. 1628]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 15 अप्रैल, 2024

का.आ. 1713(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में, उक्त सारणी के कॉलम (2) में, यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	विशेष रेल परियोजना के रूप में – विशाखापट्टनम (वीएसकेपी) – गोपालपट्टनम (जीपीटी) के बीच तीसरी और चौथी लाइन (15.31 कि.मी.)।	आंध्रप्रदेश

[फा. सं. सीई/कॉन/जेडीबी ऐट वीएसकेपी/जीपीटी-वीएसकेपी तीसरी और चौथी लाइन/एसआरपी]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-I)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 15th April, 2024

S.O. 1713(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Section – 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as special railway project as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazettee.

TABLE
SPECIAL RAILWAY PROJECT

S.No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	3rd & 4th Line in between Visakhapatnam (VSKP)-Gopalapatnam (GPT) (15.31 Km) “ As a Special Railway Project”	Andhra Pradesh

[F. No. CE/Con/JDB at VSKP/GPT-VSKP 3rd & 4th Line/SRP]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-I)